

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (प्रृष्ठ-4) विभाग

क्रमांक :— प. 19 (4) सा.प्र./ग्रुप-4/15

जयपुर, दिनांक

20/10/15

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः—चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रूपये 5.91 लाख (अक्षरे पाँच लाख इकरानवें हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—


क्रम	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	विनोद कुमार गुप्ता एफ-60 गांधीनगर	1 Rough kota stone 2 Mosaic tile flooring 3 Shed 4 Jale gate 5 Section window 6 Almirah gate	0.15 0.17 0.26 0.04 0.04 0.02	0.68
2	मोहन खण्डेलवाल एफ-65 गांधीनगर	1 CC flooring in chowk 2 AC shed in Chowk	0.11 0.26	0.37
3	नवरतन गहलोत एफ-195 गांधीनगर	1 AC shed 10x15 2 Boundary wall 3 Rough kota stone 4 Tile flooring 5 Section window 3x4x4	0.33 0.24 0.11 0.11 0.17	0.96
4	जग्गाराम डांडी एफ-413 गांधीनगर	1 AC shed 10x15 2 Kitchen Renovation 3 Bath Renovation 4 Section window 2x4x3 5 Kota stone 6 Kota stone slab 3x3x2 7 Panel door with 9mm thick	0.33 0.21 0.20 0.09 0.08 0.01 0.06	0.98
5	रीना जार्ज एफ-419 गांधीनगर	1 Rough kota stone 2 Tile flooring 3 AC shed 10x15 4 Kitchen Renovation 5 Bath Renovation	0.08 0.18 0.33 0.20 0.20	0.99
6	रंजना देवी एफ-705 गांधीनगर	1 Renovation of Kitchen 2 Renovation of Bath 3 Tile flooring	0.40 0.30 0.26	0.96
7	चुनीलाल एफ-710 गांधीनगर	1 Rough kota stone 2 Car shed 3 Boundary wall	0.23 0.38 0.36	0.97

यह व्यय बजट मद 2216—ओवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी व उनके समकक्ष अन्य आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1) सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समरत संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र कमाक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

 (एम.के.खींची)
 शासन उप सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नाकितं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव (क)